

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर

पत्रांक :- 1524 / प्रा०वि०

दिनांक :- 23 / 5 / 2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
संयुक्त कार्यालय,
कार्यालय जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषय :- चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, बरेली द्वारा ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या 318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) को स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र सं०-349/जे०ए०-2 दिनांक 04-10-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त पूर्ण प्रकरण आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रश्नगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु लगायी गयी किसी भी शर्त का अनुपालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूलरूप में।

(संजय कुमार श्रीवास्तव)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर

पत्रांक :- /

दिनांक :- / / 2018

1- प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, मुरादाबाद महोदय को मुरादाबाद क्षेत्र कार्यालय के पत्रांक-2678/154काम-मु०क्ष०/18 दिनांक 18-05-2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो०नि०वि०, रामपुर को मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 18-05-2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

शील कृष्ण धवन/Sheet Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) /Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, मुरादाबाद ।

पत्रांक :- 2678 /154काम-मु०क्षे०/18

1569

दिनांक-18-05-20

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रामपुर ।

22/5/18

570 R

विषय :- ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) को स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्, लो०नि०वि०, रामपुर का पत्रांक-1557/51काम-रा०वृत्/18 दिनांक 17.05.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्, लो०नि०वि०, रामपुर द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० को निम्न शर्तों के साथ लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है। प्रस्तावित निर्माण का कार्य जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, के अनुसार ही कराना होगा एवं मार्ग की स्थाई भूमि सड़क के मध्य से 10.00 मीटर प्रमाणित की जाती है। कोई भी निर्माण सड़क के मध्य से 18.30 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ०प्र० रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945-की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
- 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
- 5- प्रस्तावित स्थल ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 में स्थित है।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी० की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
- 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी० लम्बाई एवं 3.00 मी० चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 23.50 मी० (2x11.50 मी०) है।
- 9- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई०आर०सी० कोड सं०-12-2009 के अनुसार किया जाये।
- 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की बफर स्ट्रिप 20.500 मी० है।
- क- आवेदक को रिटेल आउटलेट पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो०नि०वि०, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का वाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
- घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30.मी० नीचा रखा जायेगा।
- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्नान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्रवाहित हो सके।

वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम्.डी.)
अधीक्षण अभियन्ता (M.D.)

- को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पूर न आने पाये।
- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 - 13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
 - 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
 - 15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 कच्चा एवं 300 मी0 पक्का दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिये।
 - 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
 - 18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राक आर0डब्ल्यू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।
 - 20- उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
 2-एनक्जर-1, II एवं चैक लिस्ट।
 3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-1557/
 51काम-रा0वृत्/18 दि0 17.05.2018 के पत्र की छाया प्रति।

18/05/18
 (एस0पी0 पाण्डेय)
 मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके पत्राक-1557/51काम-रा0वृत्/18 दिनांक 17.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
 मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
 मुरादाबाद।

J. B. (T)

Ex. Eng.
 21/5

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
 वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) /Sr. Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एन.ओ.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
 बरेली-243001 (उ.प्र. येली-243001 (U.P.))

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
रामपुर वृत्त, लो०नि०वि०, रामपुर।

पत्रांक:- 1557/51 काम-रा०वृत्त/18
सेवा में,

दिनांक 17/05/18

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय:-

ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद-रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर का पत्रांक 1246/प्रा०वर्ग दिनांक 05.05.2018।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद-रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापना करने हेतु अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर के सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अधिशाली अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनकजर एवं चैक लिस्ट।
3-अधिशाली अभियन्ता के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(ए०पी० सिंह) 17.5.18
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 05.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

श्रील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर

5/11
111
दिनांक: 03/10/2018

पत्रांक:- 757/प्रा0वि0

दिनांक:- 03/10/2018

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय:- ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर का पत्र सं0-349/जे0ए0-2 दिनांक 04.10.2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र सं0-349/जे0ए0-2 दिनांक 04-10-2017 से प्राप्त विषयगत प्रकरण में अनापत्ति दिये जाने से सम्बन्धित आख्या आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण अपने माध्यम से मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

प्रस्तावित निर्माण ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि0, बरेली के प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किया जाना दर्शाया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से निम्न प्रतिबन्धों के साथ यू0पी0 रोड कन्ट्रोल एक्ट-1945 के अन्तर्गत अनापत्ति देने की संस्तुति की जाती है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं। प्रस्तावित निर्माण का कार्य जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, के अनुसार ही कराना होगा एवं मार्ग की स्थाई भूमि सड़क के मध्य से 10.00 मीटर प्रमाणित की जाती है। कोई भी निर्माण सड़क के मध्य से 18.30 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 में स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 23.50 मी0 (2x11.50 मी0) है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की बफर स्ट्रिप 20.500 मी0 है।

(क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीज डीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

(ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधे नाली में नही जाये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए। रिटेल आउटलेट के पानी को बन्द नहीं किया जायेगा। रिटेल आउटलेट की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखना होगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैंटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
 12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी० 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
 14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि० मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
 15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी० कच्चा एवं 300 मी० पक्का दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
 16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रामपुर से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
 18. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका संत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
 19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्ल्यू./एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 20. उक्त के अतिरिक्त शा०सं०-RW/NH/19-DO-III दिनांक 24-07-2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिक रू० 2,00,000.00 (रू० दो लाख मात्र) एकमुश्त लाईसेन्स के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रू० 10,000.00 (रू० दस हजार मात्र) के शपथ पत्र फर्म/कम्पनी के डीलर के नाम से ले लिए गये हैं।
- संलग्नक:-
1. उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूल में।
 2. एनेक्जर-1, II एवं चैक लिस्ट मूल में।

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रामपुर

दिनांक :- / / 2018

पत्रांक :- / प्रा०वि०

प्रतिलिपि खण्डीय कैशियर, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को आई०डी०बी०आई० बैंक, रामपुर द्वारा निर्गत ड्राफ्ट सं०-010032 दिनांक 17.02.2018 रू० 2,00,000/- एवं ड्राफ्ट सं०-010031 दिनांक 17.02.2018 रू० 10,000/- अर्थात् कुल रू० 2,10,000/- मूल रूप में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार 2 ड्राफ्ट।

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) /Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एन. ओ. इ.)
Indian Oil Corporation Limited (I. O. C.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

अभियन्ता अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रामपुर